

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 21, 2025 <i>Asadha 30, Monday, Saka 1947- July 21, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2025

संख्या प.10(44)कृषि/ग्रुप-2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 29.11.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़तासिटी की स्थापना की गई थी

अब कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़तासिटी द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम सारंगबासनी मे गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम सारंगबासनी मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से होगी:-

पूर्व दिशा मे - खसरा नं. 110,111,99,98,97,335/96

पश्चिम दिशा मे - खसरा नं. 22 एवं 26

उत्तर दिशा मे - मेड़तासिटी से मेड़तारोड़ मुख्य सड़क (एस.एच.39) व खसरा संख्या 38/291,415/34,33,379 /379 एवं 28

दक्षिण दिशा मे - गांव सारंगबासनी व खसरा संख्या 39

गौण मण्डी यार्ड सारंगबासनी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

7607

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।